प्रारंभिक परीक्षा

सोनिक हथियार(Sonic Weapons)

संदर्भ

सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक ने इन आरोपों से इनकार किया है कि उनके पुलिस बलों ने बेलग्रेड में प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए प्रतिबंधित 'सोनिक हथियार' का इस्तेमाल किया।

सोनिक हथियार क्या हैं?

- **सोनिक हथियार ऐसे उपकरण हैं जो लम्बी दूरी तक तेज या कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगें उत्सर्जित करते हैं।**
- इनका उपयोग **गैर-घातक निवारण के लिए** या, कुछ मामलों में, **गंभीर दर्द और चोट पहुंचाने के लिए किया जा सकता है**।
- इन्हें **ध्वनिक हथियार**(**Acoustic Weapons**) **भी कहा जाता है**, ये उपकरण **लंबी दूरी तक बहुत तेज ध्वनि उत्सर्जित करते हैं**।
- ये हथियार **श्रव्य और अश्रव्य दोनों प्रकार** की ध्वनि तरंगें उत्पन्न कर सकते हैं।
- **सोनिक हथियार कैसे काम करते हैं?**
    - **सोनिक हथियार ट्रांसड्यूसर पर निर्भर करते हैं** - इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो **ऊर्जा को ध्वनि तरंगों में परिवर्तित करते हैं**।

सोनिक हथियारों के प्रकार -

- **लॉन्ग रेंज एकॉस्टिक डिवाइस (LRAD):**
    - रेंज: **8,900 मीटर (8.9 किमी) तक इंटेलिजिबल स्पीच प्रेषित कर सकता है**।
    - **ध्वनि तीव्रता: 160 डेसिबल (dB)** तक।
    - **उपयोग**:
        - ✓ **भीड़ नियंत्रण** (विरोध प्रदर्शन, दंगे)।
        - ✓ **समुद्री सुरक्षा** (समुद्री डकैती विरोधी)।
        - ✓ **सैन्य अभियान** (युद्धक्षेत्र संचार, मनोवैज्ञानिक युद्ध)।
- **मॉस्किटो डिवाइस**(**Mosquito Device**)**:**
    - युवा लोगों (किशोरों**,** 20 के दशक की शुरुआत) को लक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
    - उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि उत्पन्न करता है जो केवल युवा व्यक्तियों को ही सुनाई देती है।
    - वृद्ध वयस्क (30+) उम्र से संबंधित श्रवण हानि के कारण इसे नहीं सुन सकते हैं।
    - **उपयोग**:
        - ✓ बर्बरता को रोकना।
        - ✓ सार्वजनिक स्थानों पर युवाओं के जमावड़े को रोकना।
- **इन्फ्रासोनिक हथियार**(**Infrasonic Weapons**)**:**

- **बहुत कम आवृत्ति वाली ध्वनि (20 हर्ट्ज से नीचे)** का उपयोग किया जाता है, जो **मनुष्यों के लिए अश्रव्य होती है**, फिर भी यह **असुविधा, भटकाव और यहां तक कि दर्द का कारण बन सकती है**।

सोनिक हथियारों के स्वास्थ्य पर प्रभाव -

लघु अवधि	**गंभीर प्रभाव**
• **टिनिटस** (कानों में बजना) – कुछ मिनटों से लेकर कई दिनों तक रहता है। • अस्थायी श्रवण हानि। • मतली, चक्कर आना, पसीना आना। • सिरदर्द, चक्कर आना, संतुलन की हानि।	• **उल्टी करना** • **कान से रक्तस्राव**(आंतरिक कान की क्षति का संकेत)। • **स्थायी श्रवण हानि(**विशेष रूप से 120 डीबी से अधिक के संपर्क में आने पर)।

स्रोत: **Indian Express - Sonic Weapon**

डार्क ऑक्सीजन: एक गहरे समुद्र का रहस्य

संदर्भ

नेचर जियोसाइंस में प्रकाशित एक अध्ययन ने वैज्ञानिकों के बीच सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता के बिना गहरे समुद्र में ऑक्सीजन के संभावित उत्पादन के बारे में बहस छेड़ दी है।

डार्क ऑक्सीजन(Dark Oxygen) के बारे में -

- **यह गहरे समुद्र में आणविक ऑक्सीजन (O_2) के उत्पादन को संदर्भित करता है, विशेष रूप से ऐसी गहराई पर जहां सूर्य का प्रकाश प्रवेश नहीं कर सकता है, (जिससे प्रकाश संश्लेषण असंभव हो जाता है)।**
- हम आमतौर पर मानते हैं कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण से आती है - एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें पौधे, शैवाल और बैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलते हैं।
- **गहरे समुद्री क्षेत्रों में पाए जाने वाले आलू के आकार के धातु-समृद्ध चट्टानों, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि वे विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं।**
- **यह विद्युत धारा संभवतः समुद्री जल को इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित कर सकती है, जिससे "डार्क ऑक्सीजन" का निर्माण हो सकता है।**
- यह निष्कर्ष व्यापक रूप से स्वीकृत धारणा को चुनौती देते हैं कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन पहली बार लगभग 2.7 अरब वर्ष पहले प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से उत्पन्न हुई थी, जिसके लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है।
- **यह अनुसंधान क्लेरियन-क्लिपर्टन जोन में किया गया, जो मेक्सिको और हवाई के बीच एक पानी के नीचे का क्षेत्र है, जो अपने समृद्ध खनिज भंडार और गहरे समुद्र में खनन में बढ़ती रुचि के लिए जाना जाता है।**

स्रोत: Dark Oxygen

ऑनलाइन एश्योरेंस मॉनिटरिंग सिस्टम

संदर्भ

हाल ही में संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि 99% संसदीय आश्वासन पूरे कर दिए गए हैं और OAMS ने इन आश्वासनों को पूरा करने में मदद की है।

ऑनलाइन एश्योरेंस मॉनिटरिंग सिस्टम (OAMS) के बारे में -

- **यह संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों के सहयोग से कार्यान्वित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है।**
- इसे **2018 में लॉन्च** किया गया था।
- **इसका उद्देश्य संसद में केंद्रीय मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों की निगरानी करना और उनकी पूर्ति सुनिश्चित करना है।**
- **प्रमुख विशेषताऐं:**
    - **डिजिटल रिपोजिटरी**:
        - सभी संसदीय आश्वासनों को एक केंद्रीकृत डाटाबेस में संग्रहीत करती है।
        - प्रतिबद्धताओं को खोने या अनदेखा करने का जोखिम समाप्त हो जाता है।
    - **स्वचालित अलर्ट और सूचनाएं**:
        - संबंधित मंत्रालयों और विभागों को समय पर रिमाइंडर भेजता है।
        - आश्वासनों को पूरा करने के लिए समय-सीमा का पालन बनाए रखने में सहायता करता है।
    - **वास्तविक समय प्रगति अद्यतन**:
        - मंत्रालय आश्वासनों की स्थिति पर अद्यतन जानकारी दर्ज कर सकते हैं।
        - हितधारकों के लिए सटीक और अद्यतन जानकारी सुनिश्चित करना।
    - **दक्षता और पारदर्शिता**:
        - ट्रैकिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है, देरी को कम करता है।
        - प्रतिबद्धताओं की पूर्ति सुनिश्चित करके सरकार की जवाबदेही को मजबूत करता है।

मंत्रिस्तरीय आश्वासनों के बारे में -

- प्रश्नों के उत्तर देने के दौरान या बहस के दौरान मंत्रियों द्वारा सदन में वादों, वचनबद्धताओं या अन्य प्रकार की अभिव्यक्तियों के रूप में विभिन्न आश्वासन दिए जाते हैं।
    - ऐसे आश्वासन उस समय सूचना की अनुपलब्धता के कारण दिए जाते हैं, ताकि सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों या मुद्दों का समाधान किया जा सके।
    - **लोकसभा/राज्यसभा को दिए गए आश्वासन को आश्वासन की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाना आवश्यक है।**
    - मंत्री के अनुमोदन से, मंत्रालय आश्वासन को पूरा करने के लिए लोकसभा/राज्यसभा की सरकारी आश्वासन समिति से समय विस्तार की मांग कर सकता है।

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति में लोकसभा में 15 सदस्य तथा राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं।

- **स्रोत:** The Hindu - OAMS

समाचार संक्षेप में

APAAR आईडी क्या है?

- **APAAR का तात्पर्य ऑटोमेटेड परमानेंट अकादमिक अकाउंट रजिस्ट्री(APAAR) है।**
- यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 का हिस्सा है, जिसे छात्र रिकॉर्ड-कीपिंग को कारगर बनाने के लिए पेश किया गया है।
- यह छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड को ट्रैक करने के लिए 'एक राष्ट्र, एक छात्र आईडी' प्रदान करता है।
- **कार्य**:
    - छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धियों को संग्रहीत करता है।
    - स्कूलों और संस्थानों के बीच आसान परिवर्तन की सुविधा प्रदान करता है।
    - प्रतिलिपियों के प्रसंस्करण और सत्यापन में सहायता करता है।
- **यह काम किस प्रकार करता है**:
    - **आधार से लिंक किया गया है और डिजिलॉकर में संग्रहीत है।**
    - डेटा संग्रहण यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (**UDISE+**) पोर्टल के माध्यम से किया जाता है, जिसमें स्कूलों, शिक्षकों और छात्रों के आंकड़े होते हैं।
- **क्या APAAR अनिवार्य है - नहीं, सरकार ने कहा है कि यह स्वैच्छिक है।**

स्रोत: The Hindu - APAAR ID

हिंद-प्रशांत महासागर पहल (IPOI)

- **यह एक गैर-संधि-आधारित स्वैच्छिक व्यवस्था है जो एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत तथा नियम-आधारित क्षेत्रीय व्यवस्था के लिए सहयोग को बढ़ावा देती है।**
- **इसे भारत द्वारा 2019 में बैंकॉक (थाईलैंड) में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS) में लॉन्च किया गया था।**
- इसका उद्देश्य सभी भाग लेने वाले देशों के लिए शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देते हुए एक स्वतंत्र, खुला और समावेशी हिंद-प्रशांत सुनिश्चित करना है।
- यह 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित "क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास" (SAGAR) पहल पर आधारित है।
- **IPOI के प्रमुख स्तंभ:**
    - IPOI ने सात प्रमुख स्तंभों की पहचान की है, जिनमें से प्रत्येक स्तंभ का नेतृत्व एक या दो देश कर सकते हैं, जबकि अन्य देश स्वेच्छा से भाग ले सकते हैं।

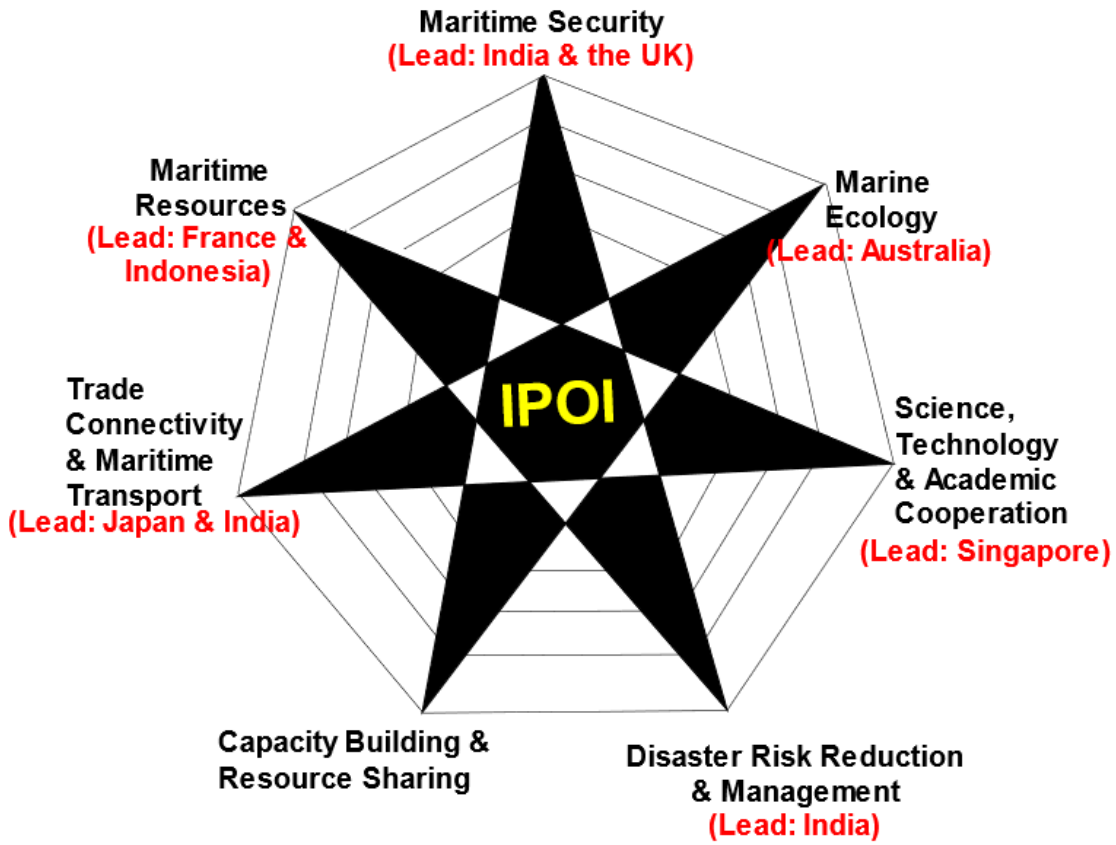

स्रोत: DD News - IPOI

स्क्वाड समूह

- **फिलीपींस और उसके सहयोगी देश**, एक अनौपचारिक बहुपक्षीय सुरक्षा समूह, **स्क्वाड का विस्तार कर उसमें भारत और दक्षिण कोरिया को शामिल करने पर काम कर रहे हैं।**

स्क्वाड के बारे में -

- **यह एक अनौपचारिक सैन्य समूह है (सदस्य - संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और फिलीपींस)।**
- **इसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए खुफिया जानकारी का आदान-प्रदान करना तथा संयुक्त सैन्य अभ्यास और अभियान चलाना है।**
- **संयुक्त सैन्य गतिविधियाँ**:
    - 2023 से, इन चार देशों के रक्षा बलों ने दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के विशेष आर्थिक क्षेत्र (**EEZ**) में संयुक्त समुद्री अभियान चलाए हैं।

स्रोत: Reuters - SQUAD

निदान पोर्टल

- **गिरफ्तार नार्को-अपराधियों पर राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस (NIDAAN) भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा विकसित एक विशेष पोर्टल है।**
- यह मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों के लिए गिरफ्तार व्यक्तियों के डेटा के व्यापक भंडार के रूप में कार्य करता है।
- इसे **जुलाई, 2022 में लॉन्च** किया गया।

- निदान प्लेटफॉर्म अपना डेटा **ICJS**(अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली) और ई-प्रिजन्स (क्लाउड-आधारित एप्लिकेशन) से प्राप्त करता है।
    - वर्तमान में निदान पोर्टल आंशिक रूप से अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (**CCTNS**) के साथ एकीकृत है। भविष्य में **CCTNS** के साथ पूर्ण एकीकरण की योजना बनाई गई है।
- **मुख्य लाभ**:
    - जांच और सक्रिय पुलिसिंग में ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों (डीएलईए) की मदद करता है।
    - अधिकारियों को बार-बार अपराध करने वालों को ट्रैक करने और ड्रग तस्करी नेटवर्क की पहचान करने में सक्षम बनाता है।
    - वित्तीय जांच में सहायता करता है और नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों (**PITNDPS**) अधिनियम, 1988 में अवैध तस्करी की रोकथाम के तहत हिरासत का प्रस्ताव करने में सहायता करता है।
    - पिछली संलिप्तता, जमानत/पैरोल की स्थिति और हैंडलर की जानकारी जैसे विवरण प्रदान करता है।

स्रोत: **PIB - NIDAAN Portal**

संपादकीय सारांश

परिसीमन के ख़तरें - जम्मू-कश्मीर, असम से सीख

संदर्भ

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के नए परिसीमन पर बहस तेज हो गई है, जिससे अनेक चिंताएं और संभावित समाधान सामने आए हैं।

समाचार के बारें में और अधिक जानकारी -

- **प्रस्तावित समाधान में संसदीय सीटों की संख्या स्थिर रखने तथा बढ़ती जनसंख्या वाले राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया गया है।**
- इसे अधिक लोकतांत्रिक माना जाता है क्योंकि:
    - विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लिए प्रथम संपर्क बिंदु होते हैं।
    - सांसद राष्ट्रीय नीति स्तर पर अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।

दक्षिणी राज्यों की चिंताएं और संभावित समाधान -

- **दक्षिणी राज्यों को नए परिसीमन के कारण शक्ति असंतुलन का डर है, जिससे उनका राजनीतिक प्रभाव कम हो सकता है।**
- **सुझाया गया समाधान:** राज्यसभा की सीटों को पांच भौगोलिक क्षेत्रों में समान रूप से वितरित किया जाए:
        - **उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र।**
    - **क्षेत्रीय परिषदों की स्थिति:** अधिकांश क्षेत्रीय परिषदों की 2023 के बाद से बैठक नहीं हुई है।
        - **अपवाद**:
            - पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक फरवरी 2025 में हुई।
            - दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की अंतिम बैठक 2022 में हुई।
- **क्षेत्रीय परिषदों की भूमिका:**
    - **प्रारंभ में इसका उद्देश्य अंतर-राज्यीय विवादों को सुलझाना था।**
    - वे अब व्यापक प्रशासनिक मुद्दों (जैसे, आधार, सुशासन) को संभालती हैं।
    - **सुझाव:**
        - क्षेत्रीय परिषदों को गृह मंत्रालय से मुक्त करना।
        - **अंतर-राज्यीय परिषद (जो 2016 से निष्क्रिय है) के साथ समन्वय को मजबूत करना।**

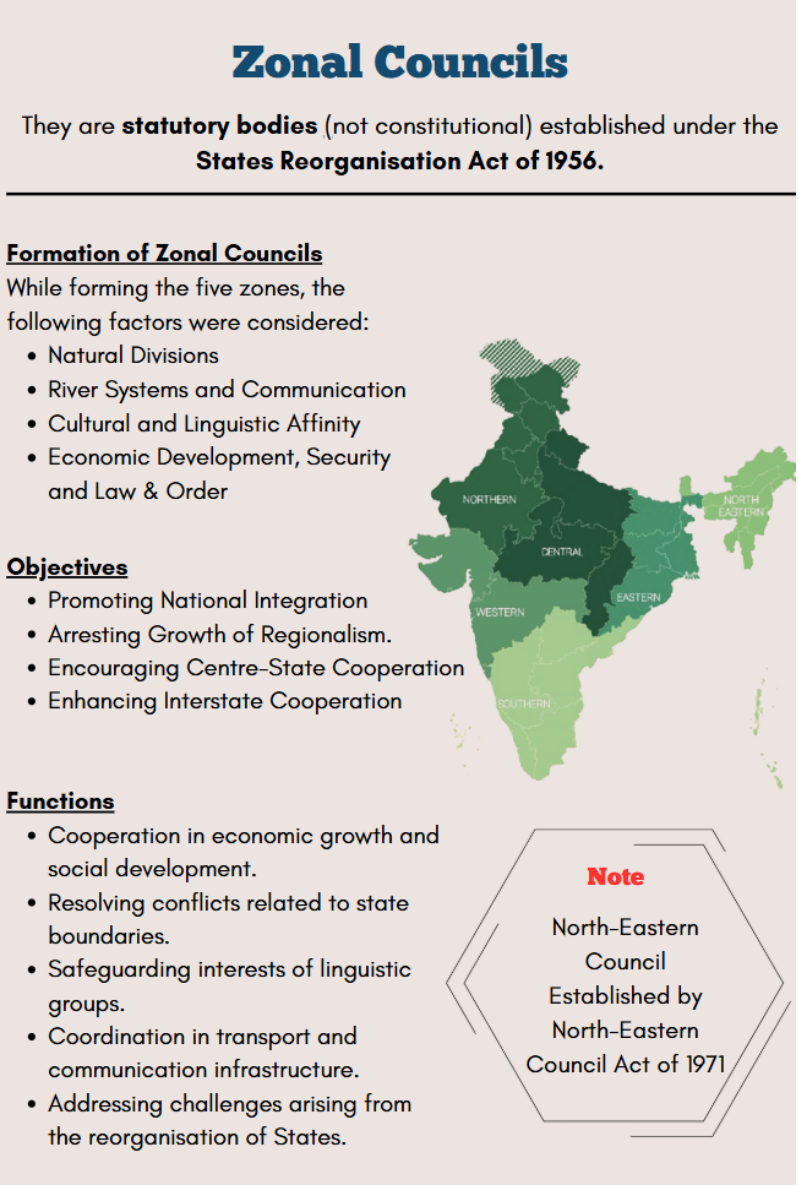

परिसीमन से होने वाले प्रमुख जोखिम -

- **राजनीतिक असंतुलन**: बड़े उत्तरी राज्यों की ओर सत्ता का स्थानांतरण → अधिक विकसित राज्यों का प्रभाव कमजोर हो जाता है।
- **सांप्रदायिक विभाजन**: धार्मिक आधारित चुनावी सीमाएं → सामाजिक विभाजन को गहरा करती हैं।
    - उदाहरण के लिए, जम्मू और असम के परिसीमन में बहुसंख्यक समुदायों को लाभ पहुंचाने के लिए छोटी आबादी वाले निर्वाचन क्षेत्र बनाने की ओर पूर्वाग्रह दिखाया गया है।

हालिया परिसीमन अभ्यास से सीख -

जम्मू और कश्मीर परिसीमन (2022)

- **प्रभाव**:
  - **जम्मू को 6 सीटें मिलीं; कश्मीर घाटी को 1 सीट का लाभ मिला → मतदान असंतुलन पैदा हुआ।**
    - उदाहरण के लिए, जम्मू के मतदाता का वोट = कश्मीर घाटी के मतदाता के वोट का 1.2 गुना।
  - **बिना किसी प्रशासनिक/भौगोलिक तर्क के नए निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण:**
    - उदाहरण के लिए, जम्मू की पुंछ और राजौरी को कश्मीर घाटी की अनंतनाग लोकसभा सीट में जोड़ा गया - भौगोलिक रूप से अलग (पीर पंजाल रेंज बनाम झेलम घाटी)।
- **सांप्रदायिक सीमांकन के आरोप**: 6 नए निर्वाचन क्षेत्र (जसरोटा, रामगढ़, रामनगर, वैष्णो देवी, पैडर-नागसेनी, डोडा पश्चिम) → हिंदू बहुसंख्यक।
  - किश्तवाड़ (मुस्लिम बहुल) → हिन्दू बहुल क्षेत्रों के साथ विलय करके हिन्दू बहुल क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया।
  - **जनसंख्या असंतुलन:**
    - वैष्णो देवी, पैडर और डोडा पश्चिम → **50,000 मतदाता**।
    - मुस्लिम बहुल डूरू और सुरनकोट → क्रमशः **1.92 लाख** और **1.77 लाख मतदाता।**

असम परिसीमन (2023)

- **विधानसभा सीटें स्थिर कर दी गईं लेकिन असम मंत्रिमंडल ने जिलों को मिला दिया, जिससे जिलों की संख्या 35 से घटकर 31 हो गई।**
- **परिणाम:**
  - **10 मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्रों का नुकसान**:
    - दक्षिण सलमारा, बारपेटा में दो सीटें, दरांग, नागांव, डिब्रूगढ़, सिबसागर, जोरहाट, हैलाकांडी, करीमगंज।
  - हिंदू और आदिवासी सीटों का प्रतिनिधित्व बढ़ा।
  - बहुत अलग-अलग जनसंख्या आकार वाले निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए।

निष्कर्ष

- विशुद्ध रूप से जनसंख्या आधारित परिसीमन से राजनीतिक शक्ति असंतुलन पैदा होगा।
- निर्वाचन क्षेत्रों का सांप्रदायिक सीमांकन ध्रुवीकरण को बढ़ावा देगा और भारत के बहुलवादी संघवाद की नींव को ख़तरा पैदा करेगा।
- दोनों प्रवृत्तियाँ भारत की एकता और अखंडता के लिए गंभीर चुनौती हैं।

स्रोत: **The Hindu: A delimitation red flag — the lessons from J&K, Assam**

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 का मसौदा: आलोचना और मांगें

संदर्भ

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के तहत जनवरी में MeitY द्वारा जारी डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 के मसौदे को कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 के मसौदे की आलोचना -

- **DPB सदस्यों की नियुक्ति:** केंद्र सरकार के पास डेटा संरक्षण बोर्ड (DPB) में सदस्यों को नियुक्त करने का विवेकाधिकार है, जिससे शक्तियों के पृथक्करण और DPB की स्वतंत्रता पर चिंता उत्पन्न होती है क्योंकि यह अर्ध-न्यायिक कार्य करता है।
- **विवाद समाधान तंत्र:** DPB के निर्णयों के विरुद्ध अपील 6 महीने के भीतर दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण (TDSAT) के समक्ष दायर की जाएगी, जिसे TDSAT के वर्तमान कार्यभार और क्षमता संबंधी बाधाओं को देखते हुए अवास्तविक माना जाता है।

संस्थागत सुधारों की मांग -

- **विशेषज्ञ की नियुक्ति:** डेटा संरक्षण में विशेषज्ञता वाले एक तकनीकी सदस्य को TDSAT में नियुक्त किया जाना चाहिए, क्योंकि डेटा संरक्षण के मुद्दे दूरसंचार मामलों से अलग हैं।
    - इस परिवर्तन को समायोजित करने के लिए ट्राई अधिनियम की धारा 14C में संशोधन आवश्यक है।

ट्राई अधिनियम की धारा 14C में TDSAT के सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्यता और पात्रता मानदंड का उल्लेख किया गया है।

- **क्षमता में वृद्धि:** TDSAT पर पहले से ही अत्यधिक कार्यभार है, फरवरी 2025 तक 3,448 से अधिक मामले लंबित हैं।
    - डेटा संरक्षण मामलों से बढ़ते कार्यभार को संभालने के लिए अधिक बजट आवंटन और अतिरिक्त बेंचों की आवश्यकता है।
- **तकनीकी अवसंरचना:** डेटा संरक्षण अपीलों को कुशलतापूर्वक निपटाने के लिए TDSAT की वेबसाइट और डिजिटल फाइलिंग प्रणालियों को महत्वपूर्ण उन्नयन की आवश्यकता है।
    - मामले की जानकारी तक बेहतर पहुंच और सुगम डिजिटल नेविगेशन आवश्यक है।
- **जवाबदेही:** TDSAT को वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करनी चाहिए जिसमें दायर, निपटाए गए और लंबित अपीलों की संख्या के साथ-साथ प्रत्येक प्रकार के मामले में शामिल प्रमुख मुद्दों का विवरण हो।

स्रोत: **The Hindu: Telecom tribunal reforms to handle data protection pleas**

जन विश्वास 2.0

संदर्भ

केंद्र सरकार के स्तर पर हाल ही में घोषित **जन विश्वास विधेयक 2.0 का उद्देश्य भारत के कानूनी ढांचे को सरल और मानवीय बनाना है।**

भारत के विधायी ढांचे की स्थिति -

विधायी डेटा (विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी)

- विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी ने 174 वर्षों की विधायी गतिविधि पर डेटा संकलित किया, जिसमें 882 केंद्रीय कानून शामिल थे।
- **मुख्य निष्कर्ष:**
    - 370 कानूनों में 7,305 अपराधों से संबंधित आपराधिक प्रावधान हैं।
    - **इनमें से:**
        - 5,333 अपराधों के लिए जेल की सजा का प्रावधान है।
        - 982 अपराधों के लिए अनिवार्य न्यूनतम कारावास की सजा का प्रावधान है।
        - 433 अपराधों में आजीवन कारावास की सजा है।
        - 301 अपराधों में मृत्युदंड का प्रावधान है।
    - भारतीय न्याय संहिता और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जैसे आपराधिक न्याय कानून इन अपराधों के केवल 25% के लिए जिम्मेदार हैं।
    - शेष **75% में रोजमर्रा की जिंदगी** के निम्नलिखित पहलू शामिल हैं :
        - माता-पिता और बच्चे की देखभाल
        - सभा में एकत्रित होना
        - गतिशीलता

मौजूदा आपराधिक कानूनों की चुनौतियाँ -

- **मामूली उल्लंघनों के लिए अत्यधिक आपराधिक प्रावधान:** कुछ कानूनों का शायद ही कभी पालन किया जाता है, लेकिन वे अधिकारियों को मनमाने ढंग से सत्ता का प्रयोग करने की गुंजाइश प्रदान करते हैं।
    - कठोर दंड पाने वाले छोटे अपराधों के उदाहरण:
        - सड़क पर गाय या भैंस का दूध निकालना
        - किसी पशु की मृत्यु की सूचना तीन घंटे के भीतर न देना
        - अनिर्धारित मार्गों से शवों को हटाना
        - पालतू कुत्ते को उचित व्यायाम कराने में लापरवाही बरतना
        - ऐसी माँ को दूध की बोतलें वितरित करना जो स्तनपान नहीं करा सकती
        - ई-सिगरेट का भंडारण
- **असंगत दंड:** वर्तमान प्रणाली **गंभीर अपराधों के लिए कम सजा** और **छोटे अपराधों के लिए कठोर दंड प्रदान करती है**:
    - **मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017**: इसके लिए छह महीने की जेल:
        - रिकॉर्ड बनाए रखने और रिपोर्टिंग दायित्वों को पूरा करने में विफल होना।
        - रोगी की सहमति और बोर्ड की मंजूरी के बिना मानसिक बीमारी के लिए मस्तिष्क की सर्जरी करना।
    - गाड़ी चलाते समय लाल बत्ती का उल्लंघन करने पर जेल की सजा हो सकती है, जो किसी को जबरन श्रम कराने के बराबर है।
    - **प्रभाव:** प्रोत्साहनों को विकृत करता है तथा न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास को कमजोर करता है।

- **जागरूकता का अभाव और अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग:** कई नागरिक इन आपराधिक प्रावधानों से अनभिज्ञ हैं, जिससे वे शोषण के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।
    - भ्रष्ट अधिकारी रिश्वत मांगने या कार्रवाई की धमकी देने के लिए अस्पष्ट प्रावधानों का उपयोग कर सकते हैं।
    - **उदाहरण:** हाल ही में डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों में नागरिकों को उन अपराधों के लिए गिरफ्तारी से बचने के लिए रिश्वत देनी पड़ी, जो उन्होंने किए ही नहीं थे।
- **अपराधीकरण पर अत्यधिक निर्भरता:** भारत का कानूनी ढांचा एक प्राचीन सभ्यता पर आधुनिक राज्य थोपने के प्रयास की हताशा को दर्शाता है।
    - अति-अपराधीकरण एक समाज-स्वीकृत प्रक्रिया के बजाय एक राज्य-स्वीकृत प्रणाली है, जो इसे दीर्घकाल में टिकाऊ नहीं बनाती है।

आपराधिक न्याय प्रणाली की चुनौतियाँ -

- **अत्यधिक कार्यभार वाले न्यायालय और जेल:** भारत में 75% जेल कैदी विचाराधीन हैं - उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है।
    - 5,333 आपराधिक उपबंधों से उत्पन्न 3.5 करोड़ आपराधिक मामले लंबित हैं।
- **दोषसिद्धि दर और कानूनी प्रक्रिया संबंधी मुद्दे:** दोषसिद्धि दर कम बनी हुई है।
    - न्यायालय ऐसे दंड देने में हिचकिचाते हैं जो सामान्य बुद्धि की कसौटी पर खरे नहीं उतरते।
    - कठोर दंड का सबसे अधिक प्रभाव गरीब और हाशिए पर पड़े समुदायों पर पड़ता है।

संरचनात्मक और संस्थागत बाधाएं -

- **नौकरशाही का प्रतिरोध:** जन विश्वास विधेयक 1.0 (2023 में अधिनियमित) के तहत, 42 कानूनों में कई छोटे अपराधों को अपराधमुक्त करने का प्रस्ताव किया गया था।
    - हालाँकि, आपराधिक प्रावधानों में वास्तविक कमी सीमित थी क्योंकि सिविल सेवकों ने दंडात्मक शक्तियों को छोड़ने का विरोध किया था।

जन विश्वास विधेयक 2.0 के अंतर्गत प्रस्तावित सुधार -

- **अपराधीकरण के सिद्धांत (विधि रिपोर्ट):** विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी ने आपराधिक प्रावधानों को उचित ठहराने के लिए चार मार्गदर्शक सिद्धांतों की सिफारिश की है:
    - **मूल्य का संरक्षण:** अपराधीकरण को समाज के अस्तित्व और सार्वजनिक हित के लिए महत्वपूर्ण मूल्य की रक्षा करनी चाहिए।
    - **स्पष्ट नुकसान के विरुद्ध संरक्षण:** अपराधीकरण को नुकसान की प्रत्यक्ष और उचित आशंका द्वारा उचित ठहराया जाना चाहिए।
    - **प्रभावी एवं कुशल समाधान:** कानून के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपराधीकरण ही एकमात्र उचित साधन होना चाहिए।
    - **आनुपातिक प्रतिक्रिया:** दण्ड, हुई हानि की गंभीरता के अनुपात में होना चाहिए।
- **मनमाने और अत्यधिक दंड को हटाना:** जन विश्वास 2.0 का उद्देश्य छोटे-मोटे उल्लंघनों के लिए अत्यधिक आपराधिक दंड को समाप्त करना है।
    - विधेयक में कानूनों को अधिक सुसंगत एवं पूर्वानुमानित बनाने का प्रस्ताव है।
- **सार्वजनिक सहमति और अद्यतन कानूनी ढांचा:** चार सिद्धांतों के आधार पर कानूनी ढांचे को संशोधित करने के लिए सार्वजनिक सहमति की आवश्यकता है।
    - कानूनी सुधार स्पष्ट, संक्षिप्त, सुसंगत, बोधगम्य और कार्यान्वयन योग्य होने चाहिए।
        - **उदाहरण**: मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम के तहत प्रशासनिक चूक बनाम चिकित्सा कदाचार के लिए दंड में स्थिरता की आवश्यकता प्रतिबिंबित होती है।
- **पुनर्स्थापनात्मक न्याय पर ध्यान केन्द्रित करना:** दंडात्मक न्याय से पुनर्वासात्मक एवं पुनर्स्थापनात्मक न्याय मॉडल की ओर बदलाव।
    - इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि न्याय प्रणाली केवल दंड देने के बजाय सुधार की दिशा में काम करे।

निष्कर्ष

- **सुधार इस प्रकार होने चाहिए:**
  - आपराधिक कानूनों को सार्वजनिक हित के साथ संरेखित करना।
  - आपराधिक कानूनों को प्रवर्तनीय एवं पूर्वानुमान योग्य बनाना।
  - कानूनी प्रणाली में नागरिकों का विश्वास मजबूत करना।
- **जवाबदेही**: आपराधिक प्रावधानों का उनके प्रभाव के आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए:
  - मानव अधिकार
  - समाज
  - राजकोषीय संसाधन
  - न्याय प्रणाली की क्षमता

स्रोत: **Indian Express: Trust and Punishment**

अमेरिका के बाहर MAGA का प्रभाव

संदर्भ

डोनाल्ड ट्रम्प की "अमेरिका को फिर से महान बनाओ(Make America Great Again – MAGA) नीतियों, विशेषकर आक्रामक टैरिफ और व्यापार युद्धों ने दुनिया भर में महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की हैं।

अमेरिका के बाहर वैश्विक प्रभाव -

- **भारत: व्यापार बाधाओं का हटना**
  - भारत ने 2016 से 500 से अधिक वस्तु श्रेणियों पर टैरिफ बढ़ाकर संरक्षणवाद को बढ़ावा दिया है।
  - हालाँकि, व्यापार समानता और टैरिफ पारस्परिकता के लिए ट्रम्प के प्रयास ने भारत को अपने रुख पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया:
    - दो दर्जन से अधिक वस्तुओं (जैसे, बॉर्बन, हाई-एंड कारें) पर मूल सीमा शुल्क में कटौती की गई।
    - औसत सीमा शुल्क 11.66% से घटाकर 10.66% कर दिया गया।
    - भारत अब उच्च टैरिफ अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी छवि को बदलने की कोशिश कर रहा है।
- **चीन: उपभोग आधारित विकास की ओर बदलाव:**
  - अमेरिकी टैरिफ ने चीन के निर्यात क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया, जिससे निर्यात-संचालित मॉडल से उपभोग-संचालित मॉडल में बदलाव आया।
  - चीन की 30 सूत्री कार्य योजना में शामिल हैं:
    - श्रमिकों की आय बढ़ाना।
    - संपत्ति बाजार के मुद्दों का समाधान करना और वार्षिक अवकाश नीतियों में सुधार करना।
    - चीन का लक्ष्य घरेलू आत्मविश्वास को बढ़ाना तथा विकास दर को 5% के आसपास स्थिर रखना है।
- **यूरोप: रक्षा व्यय में वृद्धि:**
  - अमेरिकी रक्षा गारंटी वापस लेने की ट्रम्प की धमकी ने यूरोप को अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रेरित किया।
  - जर्मनी ने रक्षा और बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाने के लिए अपने "ऋण ब्रेक" को दरकिनार कर दिया:
    - बुनियादी ढांचे के लिए 500 बिलियन यूरो के निवेश कोष का प्रस्ताव।
    - यूरोपीय आयोग ने इसे यूरोपीय सुरक्षा नीति में एक "महत्वपूर्ण क्षण" बताया।
    - विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, लेकिन फ्रांस और इटली जैसे देशों में राजकोषीय बाधाएं बनी हुई हैं।
- **कनाडा: यूरोपीय संघ की ओर संभावित झुकाव:**
  - ट्रम्प की अप्रत्याशितता ने कनाडा को यूरोप के साथ मजबूत संबंधों की संभावना तलाशने के लिए प्रेरित किया:
    - 44% कनाडाई लोग यूरोपीय संघ में शामिल होने का समर्थन करते हैं।
    - कनाडा और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार में वृद्धि पारस्परिक रूप से लाभकारी हो सकती है।
      - ➡️ उत्तरी अमेरिकी व्यापार गठबंधनों में संभावित बदलाव।
- **अमेरिकी डॉलर की आरक्षित मुद्रा स्थिति ख़तरे में**
  - व्यापार युद्ध और टैरिफ से अमेरिकी मुद्रास्फीति बढ़ने और अमेरिकी ऋण में विदेशी विश्वास कम होने का खतरा है।

- भारतीय रिजर्व बैंक सहित केंद्रीय बैंकों ने अमेरिकी डॉलर से जुड़ी परिसंपत्तियों के बजाय भौतिक सोना खरीदना शुरू कर दिया है।
- वैश्विक आरक्षित मुद्रा के रूप में अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को खतरा।

वैश्विक व्यापार अनिश्चितता -

- ट्रम्प की एकतरफा कार्रवाइयों (जैसे, USMCA की शर्तों का उल्लंघन) ने व्यापार समझौतों के प्रति अमेरिकी प्रतिबद्धता पर संदेह पैदा कर दिया।
- अमेरिकी कृषि वस्तुओं पर चीन और यूरोपीय संघ द्वारा जवाबी शुल्क लगाने से वाशिंगटन पर दबाव बढ़ गया।
- अमेरिकी व्यापार समझौतों में अस्थिरता बढ़ी और वैश्विक विश्वास कम हुआ।

स्रोत: **Indian Express: MAGA Effect Outside US**